(107)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4230–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–10–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार बागली जिला देवास, प्रकरण कमांक 9/अ–13/2011–12.

.....

1–मांगीलाल पिता गंगाराम सुतार,
2–रामप्रसाद पिता गंगाराम
3–महेश पिता गंगाराम
4–विष्णुपिता गंगाराम
निवासी ग्राम मातमोर तहसील बागली
जिला देवास म0प्र0 ..... आवेदकगण

विरूद्ध

देवीलाल पिता घीसाजी सुतार
निवासी ग्राम मातमोर तहसील बागली
जिला देवास म0प्र0

.....अनावेदक

श्री ए0आर0यादव, अभिभाषक– आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार बागली जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 09/अ–13/11–12 में दिनांक 17–1–13 को अंतिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया था । तदोपरांत आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रास्ता खुलवाये जाने संबंधी आदेश को स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–10–16 को आदेश पारित कर आवेदकगण का उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से विकय कर दी गई है ऐसी स्थिति में अनावेदक को रास्ते संबंधी सहायता नहीं दी जा सकती है इसलिये उनके द्वारा रास्ता खुलवाये जाने का आदेश स्थगित किये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन रास्ते के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है अतः तहसीलदार को व्यवहार न्यायालय के प्रकरण के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित करना चाहिये थी, परन्तु ऐसा नहीं करने में तहसील न्यायालय द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक देवीलाल वर्ष 2006 में ही प्रश्नाधीन भूमि बेच चुका है । तहसील न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । उनके समक्ष यह

कार्यवाही प्रचलन योग्य ही नहीं थी । अतः इस न्यायालय द्वारा निगरानी के तथ्यों पर विचार आवश्यक नहीं है । अतः तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस तथ्य की पुष्टि कर अग्रिम कार्यवाही करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी उपरोक्तानुसार आंशिक स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर